Sixteenth Loksabha

an>

Title: Need to waive the loan taken by fishermen of Maharashtra -laid.

श्री राहुल शेवाले (मुम्बई दक्षिण मध्य): महाराष्ट्र में मछुआरों की स्थिति बहुत खराब होती जा रही है। भारी कर्ज में दबे हुए गरीब मछुआरों का जीवन संकट में पड़ गया है। महाराष्ट्र में 720 किलोमीटर का समुद्री तट है जिस पर रहने वाले कई मछुआरों के लिए समुद्र ही उनकी रोजी-रोटी है। आजकल कई कारणों से मछली की पकड़ कम हो गयी है। मछली पकड़ने के लिए आवश्यक साधन और सामग्री की कीमतें आये दिन बढ़ रही है। डीजल की कीमतों में वृद्धि, मछली के लिए अनिश्चित कीमतें जिसके चलते जिन मछुआरों के पास नौकाएँ हैं उन्हें बड़ी समस्याएँ आ रही हैं। कई मछुआरे अपनी नावों के निर्माण के लिए राष्ट्रीय कल्याण योजना के अंतर्गत ऋण लेते हैं। राष्ट्रीय कल्याण योजना के तहत उनसे 9 प्रतिशत से 1 5.25 प्रतिशत ब्याज दर वसूल की जाती है। कई चीजों की लागत की अनिश्चितता के कारण उन्हें ऋण का भुगतान करना मुश्किल लगता है। अब बैंकों द्वारा प्रदान किए गए ऋण पर ब्याज दर में कमी आई है, लेकिन राष्ट्रीय कल्याण योजना की ब्याज दर बहुत अधिक है जो अनुचित है। मत्स्यपालन व्यवसाय को किसानों का दर्जा दिया गया हैं जैसे कि व्यापारी किसानों को धोखा दे रहे हैं, वैसे ही मछुआरों को व्यापारियों से गारंटी मूल्य भी नहीं मिल रहा है। इस प्रकार किसानों की तरह मछुआरों को भी कठिन आर्थिक स्थिति का सामना करना पड़ रहा है।

अतः माननीय मंत्री जी से मेरा अनुरोध है कि सरकार को राष्ट्रीय कल्याण योजना के तहत उठाए गए महाराष्ट्र के मछुआरों के ऋण को माफ कर देना चाहिए।